राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2146/2025

डॉ. योगेन्द्र सिंह डागुर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, केकडी (अजमेर)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2025

आदेश की दिनांक : 19.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अश्विनी जैमन/श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी निश्चेतन के पद पर जिला चिकित्सालय, केकडी, अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से एसडीएच धौरीमन्ना बाडमेर किया गया है। उनका कथन है कि डॉक्टरों की जिला चिकित्सालय, केकडी में कमी होने के बाद भी ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण करना लोकहित में नहीं है। अपीलार्थी का तर्क है कि राजकीय जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं निदेशक के आदेश दिनांक 05.02.2025 में यह सूचित किया गया है कि चिकित्सालय में कार्य अधिकता होने पर चिकित्सक का अभाव है और जिसके चलते अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जावे। उनका यह भी कथन है कि मुख्य

चिकित्सा अधिकारी ने भी कार्य अधिकता को माना है और ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया जावे। उनका यह भी तर्क है कि दिनांक 07.02.2025 को एसडीएच धौरीमन्ना में एनस्थेटिक का पद पहले से ही भरा जा चुका है और इस प्रकार डॉ. लक्ष्मी को पदस्थापित किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से एसडीएच धौरीमन्ना बाडमेर स्थानांतरण किया गया है, जबकि कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, धौरीमन्ना बाडमेर के आदेश दिनांक 07.02.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एनस्थिक के पद पर डॉ. लक्ष्मी कार्यरत है। परंतु फिर भी अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा चिकित्सा अधिकारी निश्चेतन के पद पर उक्त चिकित्सालय में पदस्थापित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष